



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27042022-235382
CG-DL-W-27042022-235382

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 17— अप्रैल 23, 2022, शनिवार/ चैत्र 27— वैशाख 3, 1944
No. 16] NEW DELHI, APRIL 17—APRIL 23, 2022, SATURDAY/CHAITRA 27—VAISKHA 3, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 382.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जैन के स्थान पर श्री पंकज शर्मा (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 382.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Sharma (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Punjab National Bank, with immediate effect and until further orders, vice Shri Pankaj Jain.

[eF. No. 6/2/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 383.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री वंदिता कौल के स्थान पर श्री भूषण कुमार सिन्हा (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 383.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Bhushan Kumar Sinha (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Bank of India, with immediate effect and until further orders, vice Ms Vandita Kaul.

[eF. No. 6/2/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 384.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एस. आर. मेहर के स्थान पर सुश्री एम. जी. जयश्री (उप महानिदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, पंजाब एंड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 384.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Ms. M. G. Jayasree (Deputy Director General, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Punjab & Sind Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri S. R. Mehar.

[eF. No. 6/2/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 385.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री भूषण कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री हार्दिक मुकेश सेठ (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 385.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Hardik Mukesh Sheth (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Central Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Bhushan Kumar Sinha.

[eF. No. 6/2/2022-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.